

बिक्रय पत्र

यह कि बिक्रय पत्र आज दिनांकई० को निम्नलिखित आधारों पर पक्षकारों द्वारा निष्पादित किया गया है।
 हम कि जंग बहादुर पुत्र श्री नरायन दास निवासी 14, मानसरोवर गार्डन बरेली प्रमोटर/बिक्रय कर्ता प्रथम पक्ष
 एवं
 श्री/श्रीमतीपुत्र/पुत्री/पत्नीनिवासी
 एलाटी/क्रेता द्वितीय पक्ष के हैं।

जो कि प्रथम पक्ष कुल आराजी आवासीय तादादी.....वर्ग मी० खसरा नम्बर 39/1/2 का भाग स्थित मौ० हरूनगला पर०तह० व जिला बरेली के पूर्णतया मालिक व स्वामी हैं तथा प्रथम पक्ष का नाम कागजात माल सरकारी में विधिवत रूप से अंकित है उपरोक्त भूमि हर प्रकार के भार बंधन से मुक्त है कहीं बिक्रय बंधक दान यूकोटेविल मार्गेज इत्यादि में नहीं है उपरोक्त कुल भूमि का प्रथम पक्ष ने ले—आउट पास अजनाम फूल नरायन पार्क कॉलोनी के नाम से बनाया और उसमें प्लाट्स कायम किये। जिसके मानचित्र को बी०डी०ए० बरेली द्वारा मानचित्र संख्या दिनांकई० को स्वीकृत किया गया है इसी ले—आउट प्लान में कायम प्लाट्स में से एक प्लाट को इस दस्तावेज हाजा द्वारा बिक्रय किया जा रहा है और क्रेता द्वितीय पक्ष क्रय करने के इच्छुक हैं जिसकी तफसील निम्नलिखित अनुसार है।

1. यह कि उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति के प्रथम पक्ष के अतिरिक्त कोई और दीगर शख्स मालिक या साझीदार या अंशदार नहीं है।
2. यह कि उपरोक्त सम्पत्ति कहीं भी बंधक व बिक्रय व दान व यूकोटेविल मार्गेज आदि से ग्रस्त नहीं है यानि सब प्रकार के भार बंधन से मुक्त है।
3. यह कि उपरोक्त वर्णित भूमि में टुकड़ों में प्लाट कायम करके उनको इच्छुक क्रेता को बिक्रय करने का निश्चय प्रथम पक्ष ने किया है।
4. यह कि उपरोक्त वर्णित भूमि के टुकड़ों में प्लाट्स के ले—आउट प्लान का मानचित्र सं० दिनांकई० को बरेली विकास प्राधिकरण बरेली से स्वीकृत करा लिया है जिसका कुल बिक्रय मूल्य हम पक्षकारों के मध्य मु० /—रुपये तय हुआ है।
5. यह कि प्रथम पक्ष प्रमोटर/बिक्रय कर्ता ने अपनी खुशी से खूब सोचकर समझकर बिना किसी जोर व दबाव के वही कुल सम्पत्ति में से एक किता प्लाट संख्या जिसमें भूमि क्षेत्रफल वर्ग मी० हैं खसरा नम्बर 39/1/2 का भाग को तय शुदा बिक्रय मूल्य मु० /—रुपये में द्वितीय पक्ष श्री के हाथ बिक्रय कर दिया तथा क्रेता द्वितीय पक्ष को क्रय किये गये प्लाट पर पूर्ण रूप से मालिकाना काबिज व दखील कर दिया। समय बिक्रय से प्रथम पक्ष का बिक्री शुदा प्लाट में कोई हक व अधिकार किसी किस्म का शेष नहीं रहा है और ना भविष्य में कभी होगा। बिक्रीत प्लाट तथा बिक्रय मूल्य का परिवर्तन दोनों पक्षकारों के मध्य पूर्ण रूप से हो गया। अगर कोई भी शख्स बिक्री शुदा प्लाट की बावत कोई दावा ऐतराज आपत्ति करेगा तो वह कर्त्तव्य गलत व नाजायज होगा। बिक्रीत प्लाट उत्तर प्रदेश रियल स्टेट रेग्लेटरी अथारिटी (रेरा) के रियल स्टेट रेग्लेटिंग एण्ड डवलपमेन्ट अधिनियम 16 सन् 2016 प्रावधानो के अन्तर्गत की गयी है। उपरोक्त अधिनियम के नियमों के दोनों पक्षकार पूर्णत्या पावन्द रहेंगे। बिक्रय पत्र पंजीकरण से पूर्व के यदि बिक्रय शुदा प्लाट पर कोई डियूज या भार हो तो उसको प्रथम पक्ष अदा करेंगे।
6. यह कि उपरोक्त लिखी शर्तों के दोनों पक्षकार पावन्द रहेंगे।
 अतः यह बिक्रय विलेख लिख दिया कि प्रमाण रहे।

विवरण एवं मूल्यांकन प्लाट एवं चौहददी तथा माप बिक्रीत प्लाट— एक प्लाट संख्या जिसमें भूमि क्षेत्रफल वर्ग मी० है भूमि मूल्य सर्किल रेट मु० 13,000/-रुपये प्रति वर्ग मी० से मु० /—रुपये हैं।

चौहददी—

पूरब —

पश्चिम—

उत्तर —

दक्षिण —

पैमार्झश (माप) —

पूरब —

पश्चिम—

उत्तर —

दक्षिण —

बिक्रय मूल्य की अदायगी—